Email **Consultant Judicial-NGT(P.B.)**

Submission of applicant in NGT(PB) OA No 352 of 2024

From : dtc 321 <dtc.321@gmail.com> Fri, Jul 19, 2024 10:08 AM
Subject : Submission of applicant in NGT(PB) OA No 352 of 2024
To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> 1 attachment
Cc : Registrar General <rg.ngt@nic.in>, CPIO NGT(PB) <us.ngt@nic.in>

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ORIGINAL APPLICATION No.. NGT (PB)OA/352/2024

APPLICANT : Harish Kanhaiyalal Solanki Age 48

VERSUS

RESPONDENTS : Chief Secretary of Government of India & others

HEARING DATE : 19-07-2024

AN ORIGINAL APPLICATION UNDER SECTION 18 READ WITH SECTION 14,15,16, & 17 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT 2010

जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का वायलेशन

1)

एम.सी. मेहता एक प्रमुख पर्यावरण वकील हैं जिन्होंने भारत में कई महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण मामलों में भाग लिया है। अनुच्छेद 12 की परिभाषा और उसकी व्याख्या विभिन्न मामलों में की गई है, लेकिन एम.सी. मेहता के संदर्भ में कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:

1. **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (Ganga Pollution Case)**: इस मामले में गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर पर्यावरणीय सरोकार उठाए गए थे। कोर्ट ने "राज्य" की परिभाषा को व्यापक रूप से लागू किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारों और विभिन्न सरकारी निकायों की जिम्मेदारी तय की।

2. **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (Oleum Gas Leak Case)**: इस मामले में एक औद्योगिक इकाई से गैस लीक होने की घटना को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया। इस मामले में "राज्य" की परिभाषा के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया गया जो सरकार की देखरेख में कार्यरत थीं।

3. **एम.सी. मेहता बनाम कामलनाथ**: इस मामले में भी पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे उठाए गए थे और कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और निजी संस्थाओं की जवाबदेही तय की थी।

इन मामलों में, एम.सी. मेहता के साथ कई अन्य वकील और न्यायाधीश भी शामिल थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने में मदद की। इन मामलों ने भारतीय न्यायपालिका में पर्यावरण कानून और संरक्षण के सिद्धांतों को मजबूत किया है।

इन मामलों में अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि पर्यावरण संरक्षण एक मौलिक अधिकार है और सरकारों को इसका पालन करना आवश्यक है।

2)

यहां कुछ प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया गया है जिनमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि सबूत एकत्रित करना जांच एजेंसियों का कार्य और उत्तरदायित्व है, न कि पीड़ित या सूचनाकर्ता का:

1. **अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला**:
   - **Mohd. Haroon and Others v. Union of India and Another (2014)**: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से सबूत इकट्ठा करने के लिए बोझ नहीं डाला जा सकता है। यह राज्य का दायित्व है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सबूत इकट्ठा करे।"

2. **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य**:
   - **Bachan Singh v. State of Punjab (1980)**: इस मामले में अदालत ने कहा कि "अपराध की जांच करना और सबूत इकट्ठा करना जांच एजेंसी का काम है। यह एक वैधानिक उत्तरदायित्व है जिसे संबंधित एजेंसियों को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ निभाना चाहिए।"

3. **विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**:
   - **Dr. Binayak Sen v. State of Chhattisgarh (2011)**: इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दोहराया कि सबूत इकट्ठा करना पुलिस और जांच एजेंसियों का कर्तव्य है।

4. **सीबीआई बनाम वी.सी. शुक्ला**:
   - **CBI v. V.C. Shukla (1998)**: अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि "यह जिम्मेदारी जांच एजेंसी की है कि वे आवश्यक सबूत इकट्ठा करें। पीड़ित या शिकायतकर्ता को सबूत इकट्ठा करने का कार्य नहीं करना चाहिए।"

इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह दोहराया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने का कार्य और उत्तरदायित्व पूरी तरह से जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है, न कि पीड़ित या सूचनाकर्ता पर।

औद्योगिक प्रदूषण के मामलों में सीआईडी (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) और ईडी (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) जैसी जांच एजेंसियों को शामिल करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. **"M.C. Mehta v. Union of India" (1987)**: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए सरकारी एजेंसियों के समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार किया। हालांकि, सीआईडी और ईडी को सीधे तौर पर शामिल करने की बात नहीं की गई, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

2. **"Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India" (1996)**: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की संयुक्त जिम्मेदारी को स्वीकार किया। कोर्ट ने प्रदूषण के मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता को माना, जिससे यह संकेत मिलता है कि विशेष जांच एजेंसियां, यदि जरूरी हों, तो शामिल की जा सकती हैं।

3. **"M.C. Mehta v. Kamal Nath" (1997)**: इस केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रदूषण और पर्यावरणीय अपराधों की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न जांच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कोर्ट ने यह संकेत दिया कि यदि मामला सार्वजनिक जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है, तो उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता हो सकती है।

इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय अपराधों की गंभीरता को स्वीकार किया और इस संदर्भ में व्यापक जांच और विभिन्न एजेंसियों की भूमिका की आवश्यकता को मान्यता दी। हालांकि, सीधे सीआईडी और ईडी को शामिल करने का आदेश नहीं था, लेकिन इन एजेंसियों की भूमिका की संभावना को स्वीकार किया गया है।

3)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 13(2) विशेष रूप से कहता है:

अनुच्छेद 13(2): "राज्य कोई ऐसा क़ानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो और इस प्रकार का कोई क़ानून, यदि बनाया गया, तो उसके इस हद तक, जिससे वह ऐसा करता हो, शून्य होगा।"

इसका अर्थ है कि संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए, राज्य (सरकार) कोई भी ऐसा क़ानून नहीं बना सकता जो इन मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाता हो या उनके प्रयोग को सीमित करता हो। यदि राज्य ऐसा कोई

क़ानून बनाता है, तो वह क़ानून अपने उस हिस्से में शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारें मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें किसी भी विधायी कार्रवाई द्वारा कमजोर न करें।

4)

अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के तहत, कानूनी कार्रवाई में समानता का अधिकार और भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हों और किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करें। निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय के मामले अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की व्याख्या और अनुप्रयोग को दर्शाते हैं:

1. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)**
   - इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण नीति और उसके लागू होने के तरीके की समीक्षा की थी। यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें यह बताया गया कि आरक्षण नीति संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत होनी चाहिए, जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

2. **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)**
   - इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक साथ पढ़े जाने चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का कोई भी प्रावधान मनमाना नहीं हो सकता और उसे समानता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।

3. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)**
   - इस ऐतिहासिक मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में अनुच्छेद 14 का स्थान महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी भी संवैधानिक संशोधन से नहीं हटाया जा सकता।

4. **ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (1985)**
   - इस मामले में, अदालत ने यह कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि समाजिक और आर्थिक समानता की भी सुरक्षा करता है। इसमें फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात की गई थी और यह निर्णय दिया गया कि उन्हें बिना पुनर्वास के हटाया नहीं जा सकता।

5. **दस्ताने भंडारी बनाम भारत संघ (1988)**
   - इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसे कानूनी जांच के दौरान अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

ये उदाहरण उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 14 की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग को दर्शाते हैं, जो कानूनी कार्रवाई में समानता के अधिकार की पुष्टि करते हैं।

5)

सामान्यतः शिकायतकर्ता की परिभाषा इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता (Complainant): शिकायतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो जलप्रदूषण अधिनियम 1974 या भ्रष्टाचार, अनियमितता, या किसी अन्य प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। यह व्यक्ति या समूह हो सकता है जो यह मानता है कि उसे या समाज को भ्रष्टाचार या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता से हानि पहुँची है और जो उचित न्यायिक या प्रशासनिक मंच पर अपनी शिकायत को प्रस्तुत करता है।

विशिष्ट परिभाषा के लिए संदर्भ:

1. ****दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973 - CrPC)** के तहत "परिवादी" (Complainant) की परिभाषा और संबंधित धारा निम्नलिखित है:

परिवादी की परिभाषा
परिवादी (Complainant): दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, परिवादी वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाता है कि एक अपराध हुआ है और उस अपराध की जांच और न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत की मांग करता है।

26
संबंधित धारा
CrPC के अंतर्गत परिवादी की भूमिका और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को विभिन्न धाराओं में वर्णित किया गया है:

1. **धारा 2(d)**:
   - **परिभाषा**: "शिकायत" का अर्थ है किसी मजिस्ट्रेट से मौखिक या लिखित रूप में की गई कोई आरोप, जो यह कहता हो कि किसी व्यक्ति ने किसी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध किया है, लेकिन जिसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। इस प्रकार, "परिवादी" वह व्यक्ति है जो इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराता है।

2. **धारा 200**:
   - **शिकायतों की परीक्षा**: इस धारा के अंतर्गत, जब एक मजिस्ट्रेट को किसी परिवादी द्वारा शिकायत प्राप्त होती है, तो मजिस्ट्रेट को परिवादी और उसके साक्षियों का बयान करना चाहिए।

3. **धारा 202**:
   - **शिकायत की जांच**: मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत की प्रारंभिक जांच करने के प्रावधान हैं। इसमें मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं और मामले की जांच की आवश्यकता है।

4. **धारा 204**:
   - **समन या वारंट जारी करना**: यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि शिकायत में प्राथमिक दृष्ट्या (prima facie) अपराध किया गया है, तो वह आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी कर सकता है।

इन धाराओं के माध्यम से CrPC परिवादी की परिभाषा, अधिकार और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है।

2. **कानूनी परिभाषा**: अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता की भूमिका, अधिकार, और कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है।
3. **प्रक्रियाएं और मार्गदर्शन**: शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता की सुरक्षा, और शिकायत के निपटारे के उपाय भी अधिनियम में शामिल हो सकते हैं।

जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के वायलेशन के मामले के अंतर्गत विशेष तौर से इंडस्ट्री वॉटर पॉल्यूशन की सूचना को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लिया जाना चाहिए ।
और निष्पक्ष जांच न किए जाने की सूचना पर संबन्धित जॉच अधिकारी पर संज्ञेय अपराध आईपीसी की धारा 166A(a) व 166A(b) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए ।

सूचनाकर्ता (Whistleblower) या शिकायतकर्ता का जांच में सहयोग लेना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितता या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के मामलों में। भारतीय न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कई मामलों में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यहाँ कुछ उद्धरण दिए गए हैं:

1. **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1996)**
   - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "सूचनाकर्ता का सहयोग लेना महत्वपूर्ण है ताकि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी हो सके।" कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सूचनाकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी जांच प्रक्रिया में सहायक हो सकती है और निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकती है।

2. **सी.बी.आई बनाम रवि शंकर श्रीवास्तव (2006)**
   - सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, "सूचनाकर्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और साक्ष्य जांच को दिशा देने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।" कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि सूचनाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे बिना भय के सच्चाई उजागर कर सकें।

3. **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2014)**
   - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सूचनाकर्ताओं द्वारा जांच में सहयोग लेना अनिवार्य हो सकता है, खासकर जब वे अपराध की गहरी जानकारी रखते हैं।" कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि जांच एजेंसियों को सूचनाकर्ताओं के साथ उचित संवाद स्थापित करना चाहिए और उनके द्वारा दी गई जानकारी का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए।

4. **पी. शिव शंकर बाबू बनाम भारत संघ (2019)**
   - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता द्वारा जांच में सक्रिय सहयोग जांच प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बना सकता है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि सूचनाकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के जांच में भाग ले सकें।

इन मामलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सूचनाकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के जांच में सहयोग की महत्वपूर्णता को मान्यता दी है और उनकी सुरक्षा और गोपनीयता पर भी जोर दिया है।

6)

प्रदूषण की शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता की सुरक्षा और उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में टिप्पणी की है। यहाँ कुछ प्रमुख उद्धरण दिए गए हैं जो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को दर्शाते हैं:

1. **कर्नाटका एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2001)**
- इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "प्रदूषण की शिकायत करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करना या उन्हें धमकाना अस्वीकार्य है। शिकायतकर्ताओं को उचित सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।"

2. **एम.सी. मीठल बनाम भारत संघ (2011)**
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की कि "प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी शिकायतें करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया जाता है, तो यह न्यायिक और कानूनी दायित्व है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।"

3. **इंदरसेन बनाम भारत संघ (2014)**
- इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "प्रदूषण से संबंधित मामलों में शिकायतकर्ता की प्रताड़ना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ताओं के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटाया जाए।"

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की शिकायत करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके साथ उचित व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन मामलों में कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित न किया जाए और उनकी शिकायतों का निष्पक्षता से निपटारा किया जाए।

7)

औद्योगिक प्रदूषण के मामलों में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव और जिला कलेक्टर को पार्टी बनाए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. **मयंक प्रवीण बनाम भारत सरकार** (2012) - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्रदूषण के मामलों में ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन की भूमिका की भी चर्चा की गई थी।

2. **रेणु सतीजा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार** (2006) - इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई में संबंधित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया था।

ये निर्णय प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय अधिकारी भी जिम्मेदार हों।

8)

औद्योगिक प्रदूषण के मामलों में जिला न्यायालयों को स्वंय संज्ञान लेने के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. **"M.C. Mehta v. Union of India" (1987)**: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त उपायों की दिशा में निर्देश दिए और कहा कि स्थानीय न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रदूषण मामलों पर नज़र रखें और उचित कार्रवाई करें।

2. **"Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India" (1996)**: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि स्थानीय न्यायालयों को भी प्रदूषण के मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

3. **"M.C. Mehta v. Kamal Nath" (1997)**: इस केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण के मामलों में स्थानीय अदालतों की भूमिका को स्वीकार किया और निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में स्थानीय न्यायालयों को स्वंय संज्ञान लेने का अधिकार हो सकता है।

ये निर्णय प्रदूषण नियंत्रण के लिए न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाते हैं और स्थानीय न्यायालयों को स्वंय संज्ञान लेने के अधिकार की पुष्टि करते हैं।

9)

स्थानीय न्यायालय द्वारा औद्योगिक प्रदूषण पर ध्यान न दिए जाने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

1. **"M.C. Mehta v. Union of India" (1987)**: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि स्थानीय अदालतें प्रदूषण के मामलों में निष्क्रिय थीं और यह आदेश दिया कि केंद्रीय और राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस उपाय करें। न्यायालय ने स्थानीय अदालतों के कार्य में कमी की आलोचना की और उनके कार्य निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता की बात की।

2. **"Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India" (1996)**: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में भी टिप्पणी की कि स्थानीय न्यायालयों की निष्क्रियता और प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दों पर ध्यान न देने के कारण उन्हें समुचित निर्देश दिए गए। कोर्ट ने राज्य और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

3. **"M.C. Mehta v. Kamal Nath" (1997)**: इस केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन और न्यायालयों के दायित्व की पुष्टि की और उन पर जिम्मेदारी डाली कि वे प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में सक्रिय हों। अगर स्थानीय अदालतें अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाती हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी का सामना करना पड़ सकता है।

इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय न्यायालयों की निष्क्रियता पर ध्यान दिया और प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता को बल दिया।

सलग्न: उपरोक्तानुसार

स्थान: बुरहानपुर म.प्र.-450331

दिनांक: 19-07-2024 शुक्रवार :

प्रेषक/आवेदक ;
हरीश पिता श्री कन्हैयालाल सोलंकी (पर्यावरण प्रेमी)
आधार कार्ड न. 445173106746
इमेल आईडी dtc.321@gmail.com
WhatsApp no. 7999435488, 9425909340
स्थाई पता: गुरुद्वारा-दरगाह रोड, एमागिर्द, बुरहानपुर 450331 म.प्र.

nalsa Shreya arora mehta 29.04.2024 (1).pdf
360 KB

GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार
DEPARTMENT OF JUSTICE, MINISTRY OF LAW & JUSTICE
न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
B-BLOCK, GROUND FLOOR, ADDITIONAL BUILDING COMPLEX,
SUPREME COURT OF INDIA, NEW DELHI- 110001
बी-ब्लाक, भू-तल, एडिशनल बिल्डिंग काम्प्लेक्स,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली-110001
COMMUNICATION ADDRESS- JAISALMER HOUSE, 26,
MAN SINGH ROAD, NEW DELHI-110011
नई दिल्ली-110011

EMAIL: nalsa-dla@nic.in
WEBSITE: www.nalsa.gov.in
PH: 011-23382778, 23071450
FAX: 011- 23382121

DIARY No.170/NALSA/LA-2024/ 261
DATED: 29th April, 2024

(SPEED POST)

To

The Member Secretary,
Madhya Pradesh State Legal Services Authority,
C-2, South Civil Lines,
Pachpedi, District- Jabalpur,
Pin Code- 482001, Madhya Pradesh.

Sub: Representation for the Legal Assistance- reg.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the application dated **27.03.2024,** of **Sh. Harish, S/o Sh. Kanhaiya Lal Solanki** received in this Authority and it has been forwarded to the **Madhya Pradesh State Legal Services Authority, through the Online Portal of NALSA (Legal Service Management System) vide D. No. 04/07411/2024**, with the request to take appropriate action as per the Legal Services Authorities Act, 1987, and apprise the action taken report to the applicant under intimation to this Authority **within seven working days of receipt of this letter.**

Yours faithfully,

(SHREYA ARORA MEHTA)
OFFICER ON SPECIAL DUTY

Copy for the information:

Sh. Harish, S/o Sh. Kanhaiya Lal Solanki,
R/o Gurudwara- Dargarh e Hakimi Dharmik Marg,
Village Emagird,
District Burhanpur PIN- 450331,
Madhya Pradesh
Mobile – **9425909340**
7999435488

with regard to the D. No. 04/07411/2024.

You can track your application by URL given below:

(https://nalsa.gov.in/lsams/nologin/applicationTrackingForm.action)

You are requested to contact the addresses above for further action.

(SHREYA ARORA MEHTA)
OFFICER ON SPECIAL DUTY